हर खबर की हूंकार, सच हो स्वीकार TITAL CODE : MPHIN-37112

जनस्वामी न्यूज

सांध्य दैनिक

वर्ष-1 अंक-144 पेज-4 मूल्य- 1/-

शुक्रवार 21 जनवरी 2022

SDM शहडोल और सहायक आयुक्त खरगोन निलंबित

समाधान ऑन लाइन में कई कलेक्टरों को फटकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में कई जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाई। उन्होंने आम लोगों की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर शहडोल के एसडीएम और खरगौन के सहायक आयुक्त को सस्पेंड भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने अनूपपुर के आवेदक ज्ञान सिंह को भूमि का अवार्ड पारित होने के बाद भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर एसडीएम को जवाबदार माना। उन्होंने शहडोल कमिश्नर को जांच करने और तत्काल एसडीएम मिलिंद नागदेवे को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं।

मुख्यमंत्री ने खरगौन की आवेदिका उपासना बडोले की शिकायत सुनी। उन्होंने आवास सहायता योजना की राशि की शिकायत फोर्स क्लोज करने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा शिकायतों के निराकरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समय पर लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन संबंधी शिकायतें सही पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करें।

इन शिकायतों के निराकरण नहीं होने पर नाराजगी

- भोपाल के आवेदक जगदीश चौहान की बेटी के जन्म प्रमाण-पत्र एवं गुना के आवेदक मुकेश शर्मा के प्रसूति सहायता संबंधी आवेदन का निराकरण समय पर नहीं हुआ।
- पन्ना के दीपक नाथ की शिकायत के मामले में गुमशुदा बालिका को ढूंढ़ने में पुलिस की ढिलाई की गई।
- मुरैना के टिंकू शर्मा की शिकायत के मामले में कहा कि शौचालय की राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
- नरसिंहपुर के सुरेन्द्र से शिकायत की जानकारी ली और ऋण स्वीकृति में विलंब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

मिशन 2023 के लिए जुट जाएं: नाथ

कांग्रेस एक फरवरी से शुरू करेगी घर चलो, घर-घर चलो अभियान

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है, 18 माह शेष बचे हैं, हमें जी-जान से मैदान में जुटना होगा। आज की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन आ चुका है। भीड़ भरी रैली, सभाओं का दौर अब जा चुका है। अब जनता से सीधे संपर्क रखने वाला नेता ही आगे भविष्य में टिक पाएगा।

कमलनाथ ने यह बात मंगलवार को प्रदेश भर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बगैर मजबूत संगठन के हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमें अपने मंडल, सेक्टर और बूथ इकाइयों को मजबूत बनाना होगा। प्रदेश के उपचुनावों में हमारी जीत का कारण हमारा संगठन ही है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे मंडलम, सेक्टर, बूथ इकाइयों के पुनर्गठन के काम में तेजी लाना होगा। सदस्यता अभियान में भी तेजी लाना होगी। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का भी काम चल रहा है, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा।

टैक्स भुगतान हुम् सभी की जिम्मेदारी, tiol करेगा करदाताओं को सम्मानित

विडंबना यह है कि हमारे देश में टैक्स और जीडीपी का अनुपात बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है औऱ हम सिर्फ 10 प्रतिशत की ही रेंज मे ही हैं, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों से भी पीछे हैं।सीधी बात यह हैं कि यदि यह अनुपात नहीं बढ़ता है तो सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा इसलिए समाज के सभी वर्गों को टैक्स भुगतान में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कभी आपने सोचा है कि यदि आप पूरी ईमानदारी से अपने टैक्स का भुगतान करके देश की अर्थव्यवस्था और विकास मे सहभागिता निभाते है तो निसंदेह इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए और इसी दिशा में पहला कदम उठाया है TIOL अवार्ड्स ने। राष्ट्रीय स्तर का यह अपने आप मे पहला अवार्ड है जिसमें न केवल देश के विकास में सहभागी बनने वाले टैक्स धारकों को पुरस्कृत किया जाता है बल्कि साथ ही साथ देश एवं विदेश के वित्तीय सलाहकारों, वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक, वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों, वकीलों, आदि को प्रवक्ता के रूप में बुलाकर आम लोगों मे भी टैक्स के प्रति जागरूकता का प्रयास किया जाता है। सही भी है आज शिक्षा के लिए स्कूल,कॉलेज, इलाज के लिए सर्व सुविधायुक्त अस्पताल, पॉवर प्लांट, पक्की सड़के, बिजली, बांध, सभी के लिए सरकार को वित्त कर के माध्यम से ही उपलब्ध होता है ऐसे मे देश के निर्माण मे टैक्स भरने वाले भारतीय को पुरस्कृत करना सभी के लिए प्रेरणा का विषय रहेगा।

इसके लिए आप खुद भी अपने आप को नामांकित कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग केटेगरी बनाई गई है इससे संबंधित सभी जानकारी इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। नामांकन पर निर्णय लेने के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया है जिनका निर्णय अंतिम रहेगा। Tiol के फाउंडर शैलेन्द्र कुमार के अनुसार इस अवार्ड का शुभारम्भ माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम।आर।शाह एवं बिहार के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर श्री सुशील जी मोदी जैसे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवन्यू सेकेट्ररी श्री तरुण बजाज भी मुख्य स्पीकर के तौर पर शामिल होगे। इसके साथ ही पांच स्पीकर पेनल का गठन किया गया है। जो कि अलग अलग विषय पर अपने उदबोधन देगें।

- सुनील जोशी

प्रकाशक/ सह. संपादक-संतोष घोगरे | स्वामी - जनहित आरटीआई कार्यकर्ता संगठन | संपादक-आशीष शिंदे

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग

कोई भी खबर की सूचना 9644630000, 9826311986 नंबर पर भेज सकते है। आप चाहे तो आपकी पहचान गोपनीय रहेगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्दौर 9644630000, खण्डवा 9826311986, मनावर से हरिओम मालवीय 9575653346, झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर 7898256771, सेंधवा से रामकुमार कुवादे 9826775965, बदनावर से सुनिता नाहर 99813 94942, कुक्षी से संजय देपाले 82693 30465 नंबर को जोड़ लीजिए। आपके ग्रुप के साथियों को भी *जनस्वामी न्यूज़ समाचार पत्र की पीडीएफ़ और अपडेट खबर मिलती रहेगी।

सावधानी ही सुरक्षा

दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं

संपादकीय

कसौटी पर राहत

बीते लगभग दो साल से कोरोना विषाणु के संक्रमण से पैदा हुई महामारी ने समूचे देश और दुनिया भर में कितना और कैसा कहर ढाया है, यह जगजाहिर है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में महामारी से बड़ी संख्या में हुई लोगों की मौतों के बाद मृतकों के परिवारों की मदद को लेकर कई राज्यों की सरकारों का रवैया बेहद उदासीन रहा। जबकि कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित किया गया था और उसकी चपेट में जान गंवाने वालों के परिवारों की हर संभव मदद करना और उन्हें अपेक्षित मुआवजा देना सरकारों का कर्तव्य था। इस उपेक्षा भाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निराशा और नाराजगी जाहिर की और कई राज्य सरकारों को इस मसले पर सख्त निर्देश दिए।

अदालत ने कोविड-19 से हुई मौतों की कम संख्या और खारिज किए गए आवेदनों की अधिक संख्या को लेकर केरल और बिहार जैसी कुछ राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि पात्र लोगों को अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए और सिर्फ तकनीकी कारणों से मुआवजे के किसी दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

यह अपने आप में बेहद दुखद है कि एक तरफ लोग महामारी से बचाव के लिए किए गए इंतजामों में कमी के चलते इसका शिकार हुए, मरीजों की जान गई, वहीं सरकार की ओर से मदद के नाम पर जो व्यवस्था की गई, उसकी प्रक्रिया की जटिलता या उसमें लापरवाही के चलते पीड़ित परिवारों को उससे कोई खास राहत नहीं मिल सकी। हालत यह है कि सरकार ने कोरोना से हुई मौतों के मामलों में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की जो रकम तय की थी, वह मुहैया कराने के मामले में भी कई स्तरों पर खामियां सामने आई। इसका अंदाजा अदालत के इस रुख से लगाया जा सकता है कि उसने आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार के मुख्य सचिवों से यह स्पष्टीकरण देने को कहा कि कोविड-19 से मृत्यु के मामलों में परिजनों को पचास हजार रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण उनके राज्यों में कम क्यों हुआ! यही नहीं, अदालत ने बिहार की ओर से दिए गए आंकड़ों को खारिज किया और कहा कि ये आंकड़े वास्तविक नहीं हैं। पीठ ने साफ तौर पर बिहार सरकार के वकील से कहा कि हमें भरोसा नहीं हो रहा कि बिहार में कोविड की वजह से केवल बारह हजार लोगों की जान गई। निश्चित रूप से यह हैरानी की बात है कि केरल, आंध्र प्रदेश जैसे जिन राज्यों में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद काफी रही, मगर मुआवजे के लिए दावे बहुत कम सामने आए। सरकार ने अपनी ओर से ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि जिन लोगों की मौत का कारण कोविड-19 के रूप में दर्ज किया गया, उनके परिवारों की ओर से एक सहज प्रक्रिया के तहत मुआवजे का दावा आए और वह उन्हें मिल भी सके? यह बेवजह नहीं है कि अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरणों से कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से संपर्क करने और मुआवजा दावों का पंजीकरण और वितरण उसी तरह करने को कहा, जिस तरह 2001 में गुजरात में आए भूकम्प के दौरान किया गया था। जाहिर है, अदालत ने कोरोना विषाणु से संक्रमण की जद में आए लोगों और उनके परिवारों के प्रति काफी संवेदनशील रुख अपनाते हुए एक तरह से यह आईना भी दिखाया है कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों की बात करने वाली सरकारों को खुद अपनी ओर से पीड़ितों के हक में क्या करना चाहिए था!

कुक्षी एसडीओपी कार्यालय में पौधों में फुल खिलने से बढ़ने लगी सुन्दरता

संजय देपाले

(जनस्वामी न्यूज नेटवर्क)

कुक्षी। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कुक्षी ए व्ही सिंह के द्वारा एसडीओपी कार्यालय सहित प्रांगण में सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य किए गए प्रांगण के आस-पास विशेष साफ सफाई कार्य किया गया आसपास जालियां लगाकर वक्षारोपण किया गया जिससे अनुविभागीय पुलिस कार्यालय कुक्षी में विशेष सुन्दरता देखने को मिल रही है बिते दिनों मध्य प्रदेश का पहला एसडीओपी कार्यालय कुक्षी रहा जिसे आईएसओ अवार्ड से सम्मानित किया गया था एसडीओपी ए व्ही सिंह को धार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईजी एवं कलेक्टर के साथ धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने उन्हें अवार्ड दे कर सम्मानित किया गया था एसडीओपी ए व्ही सिंह के प्रयासों से पूर्व में कुक्षी अनुभाग के कुक्षी,बाग, टांडा पुलिस थानों को भी आईएसओ अवार्ड से सम्मानित हो चुके है।

वहीं एसडीओपी ए व्ही सिंह से आज दिनांक 20/1/2022 को मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय पुलिस कार्यालय कुक्षी में लगाए गए पौधों को लेकर ड्रिप के माध्यम से पौधों को पानी देने का कार्य किया जाएगा आने वाले समय में गर्मी का मौसम आने वाला है जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा जिससे पानी की भी बचत होगी वही एसडीओपी कार्यालय में लगे पौधों में फूल आने से एसडीओपी कार्यालय में सुंदरता बढ़ने लगी है।

भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की हुई घोषणा

सेंधवा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी जयंत शर्मा ने जिले की महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की घोषणा की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया एवं जिलाध्यक्ष ओम सोनी की सहमति से चारो विधानसभा के 24 महिला मोर्चा की अध्यक्ष की घोषणा की है जिसमे बड़वानी नगर प्रीति प्रकाश सोनी, बड़वानी ग्रामीण लाड़की बाई शर्मा,भवति हेमलता कुमरावत, पाटी कृष्णा सोनी, सिलावद निर्मला भावसार, गन्धावल बोकराता वैशाली सरते, मेनीमाता बालाजी सेन, राजपुर विधानसभा से राजपुर नगर किरण कुशवाह, जुलवानिया सुशीला मनोहर, ओझर ललिता परमार, अंजड़ उज्जवला बंसल, तलवाड़ा मंजुला गहलोत, ठीकरी संगीता वर्मा, सेंधवा विधानसभा सेंधवा नगर किरण चौहान, सेंधवा ग्रामीण संगीता सोनी, धनोरा मिनाक्षी मालवीया, चचरिया कुसुमबाई सोलंकी, बलवाड़ी उषा चौहान, धवली अनिता रायसिंह, पानसेमल विधानसभा से पानसेमल ताराबाई वादिले, चाटली लता काग, पलसूद रेखा राठौड़, निवाली लक्ष्मी जाधव, खेतिया स्वर्णा जैन को मनोनीत किया गया ।

सांसद प्रतिनिधि डॉ हुकुम पवार द्वारा किए मास्क वितरण

सेंधवा। क्षेत्रीय सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अजजा मोर्चा माननीय श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी के आह्वान पर कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए निशुल्क वितरण करने का आह्वान किया गया सांसद जी के आह्वान पर सांसद प्रतिनिधि एवं समाजसेवी डॉ हुकुम पवार द्वारा निशुल्क मास्क वितरण किया गया डॉ हुकुम पवार द्वारा बताया गया है कि सांसद महोदय द्वारा दोनों कोरोना काल मेअपनी जान की परवाह किए बगैर आम जनता के बीच जाकर कई सेवा कार्य एवं मदद की समाज सेवी डॉ हुकुम पवार द्वार पिछले दोनो कोरोना काल में भी इनके द्वारा कई सेवा कार्य किए गए सेवा कार्यों से ग्रामीणों जन प्रभावित होकर इनकी तारीफ कर सराहा भी की जा रही है।

असंगठित श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू

झाबुआ। भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की गई है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी पेंशन योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे सभी असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, पात्र हैं। योजना के तहत नामांकन के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत श्रमिक जितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जमा करायी जाएगी। साठ वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक को तीन हजार रू प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रीमियम की प्रथम किश्त जमा कर अपना नामांकन जमा करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को अपना आधार कार्ड और बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। यह सुविधा सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है।

सावधानी ही सुरक्षा
दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं

इफ्को द्वारा जरूरतमन्दों को निःशुल्क कंबल वितरण

झाबुआ । आज सामाजिक कार्य के अंतर्गत इफको द्वारा जरूरत मन्दों को निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम के तहत आज कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा पात्र लोगों को कंबल वितरण किया गया। इफको द्वारा 75 कंबल दिए गए थे। कंबल पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की। इस आफत से कुछ तो राहत मिली। इफको विश्व की सबसे बडी सहकारी संस्था है।

कंबल वितरण के दौरान श्री नगीन रावत, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्री हरेराम बिरले इफको प्रतिनिधी झाबुआ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इफको द्वारा समय समय पर जिले में अन्य सामाजिक गतिविधिया भी चलायी जाती है।

मिलावटखारों के विरूद्व करें सख्त कार्यवाही, माफियाओं और गुंडों को नेस्तनाबूत करें: सीएम

झाबुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में राशन दुकानों के माध्यम से गरीब और कमजोर तबके के लोगों को राशन वितरण की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक बेहतर और पारदर्शी बनाने के उददेश्य से राशन दुकानों की रेंडम जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारी राशन दुकानों की रेंडम ली जांच करें और राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रमण के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन नही मिलने की शिकायतें मिली थी, शिकायतों की जांच कराई गई तथा अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में गरीबों का राशन किसी को खाने नही देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जो राशन वितरण किया जाता है इस राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रमण के समय वह स्वयं राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही भी करेंगे।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज कमिश्नर्स, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में नागरिकों को शुद्व और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलावटी वस्तुएं बेचकर लोगों की जिदंगी से खेलने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्व और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करें।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टॉपू बना रहें इसके सतत प्रयास होने चाहिए। प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं एवं गुंडों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडो, माफियाओं और अपराधियों को नेस्तनाबूत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिन्हित अपराधों में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार उदासीनता नही होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में सक्रिय चिटफंड कम्पनियों एवं एनजीओ की गतिविधियों पर भी निगरानी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देष दिए कि समाज में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नशामुक्ति अभियान भी चलाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं विरूद्व अपराध रोके। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन मुस्कान की भी समीक्षा। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को निर्देश दिए।

श्रम कल्याण मण्डल की तीन नवीन सेवाएं आनलाइन

झाबुआ। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत श्रमविभाग (श्रम कल्याण मण्डल) की तीन नवीन सेवाओं को अधिसूचित कर www.mpedistrict.gov.in पर आनलाइन कर दिया गया है। इन सेवाओं में 2.33 विवाह सहायता योजना, 2.34 अंतिम संस्कार सहायता योजना, 2.35 कल्याणी सहायता योजनाओं का सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त सेवाओं के आवेदन हेतु पदाभिहित अधिकारी संभाग स्तर पर है। सभी पदाभिहित अधिकारी को लॉगइन आईडी उपलब्ध करवा दी गई है और सेवाओं के साथ मैप कर दिया गया है। संबंधित जानकारी लोक सेवा केन्द्र पर प्राप्त की जा सकती है।

पेटलावद खनिज एवं राजस्व विभाग की कार्यवाही में रेत के 3 ट्रैक किए जब्त

चन्द्रशेखर राठौर
झाबुआ जिला प्रमुख

(जनस्वामी न्यूज नेटवर्क)

पेटलावद। खनिज अधिकारी के निर्देशन में पेटलावद तहसीलदार जगदीश वर्मा ने 3 ट्रैको को जप्त कर थाना पेटलावद के सुप्रत किया खनि अधिकारी के नेतृत्व में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम हेतु खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा जिले की पेटलावद तहसील व निकटवर्ती के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की जांच की गई। अलसुबह चली कार्यवाही में पेटलावद क्षेत्र में जांच के दौरान रेत

का परिवहन करते तीन डंपरों की जांच की गई। चालकों से खनिज के परिवहन की वैधानिक रॉयल्टी चाही गई। वाहन में खनिज परिवहन हेतु आवश्यक वैधानिक दस्तावेज न पाते हुए, वाहनों को मौके से जप्त किया गया। तीनो जप्तशुदा वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त थाना प्रभारी पेटलावद की अभिरक्षा में रखा गया है। जब्तशुदा वाहनों पर मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तड़के चली इस कार्यवाही में पेटलावद तहसीलदार जगदीश वर्मा सम्मिलित रहे।

कु. कुसुम बाबेरिया का राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में चयन

झाबुआ। शहीद चन्द्रशेखर आजाद) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में अध्ययनरत कु. कुसुम बाबेरिया का राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में चयन मध्यप्रदेश स्वीप द्वारा 12 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में " मतदान की अनिवार्यता " विषय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शासकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ की छात्रा कु. कुसुम बाबेरिया बी. ए. तृतीय वर्ष ने जिले मे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जहाँ से इनका राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है इस अवसर पर महाविद्यालय के संस्था प्रमुख प्राचार्य डॉ. जे.सी. सिन्हा, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. रविन्द्र सिंह, कॉलेज कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रो. जैमाल डामोर एवं समस्त प्राध्यापक एवं सहायक प्रध्यापक ने हर्ष व्यक्त करते हुये भविष्य के लिए शुभकामनायें दी।

मुख्यमंत्री उद्यमक्रांति के योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

झाबुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु ''मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति '' का प्रारम्भ की किया गया है। योजना अंतर्गत विनिर्माण हेतु 1.00 लाख से 50.00 परियोजना लागत के तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों हेतु 1.00 से 25.00 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। मध्यप्रदेश का मूल निवासी, 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग, परिवार की वार्षिक आय 12.00 लाख तक होने वाले आवेदक योजना अंतर्गत पात्र होंगे। योजना अंतर्गत वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गारंटी शुल्क की प्रतिपुर्ति अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगी। इच्छुक आवेदक पोर्ट्रल पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र झाबुआ दूरभाष क्रमांक 07392-243659 पर सम्पर्क कर सकते है।

अब बिना पुलिस की इजाजत के नहीं खुलेगे स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर

इंदौर। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब इनसे जुड़े फैसले भी जनता के हित एन सामने आने लगे है, इंदौर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए जा रहे हैं। आईपीएस मिश्र ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान किराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देने, पेइंग गेस्ट की सूचना अनिवार्य करने के साथ स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी। यानि अब पुलिस की इजाजत और अनुमति के बिना शहर में स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर नहीं खुल सकते है।

गौरतलब है, शहर में लगातार कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के अड्डे बने इन सेंटर्स में पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी और अब इन्ही कार्यवाहियों के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देना होगी।

पुलिस कमिश्नर हरीनारायण चारी मिश्र ने ये प्रतिबंध भी लगाए

पुलिस कमिश्नर आदेश में अब इंदौर में धारा 144 के तहत जारी एक प्रतिबंधात्मक आदेश में राजनीतिक दल, धार्मिक और सामाजिक संगठनों पर भी बिना सूचना और अनुमति के धरने, प्रदर्शन, रैली सभाओं पर रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, जिस पर भडक़ाऊ भाषा या किसी जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे लिखे हों, उनका प्रकाशन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही नाइट्राजेपाम, क्लोनोजेपाम सहित इस श्रेणी की तमाम नींद और ट्रंक्वेलाइजर श्रेणी की दवाइयां मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। स्टोर संचालकों को उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। इन दवाओं का उपयोग जघन्य अपराध के पहले अपराधी करते हैं। इसी तरह गर्भपात व गर्भ समापन से संबंधित औषधियों का भी खुला विक्रय नहीं होगा। वह भी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर ही किया जा सकेगा। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए गए ये प्रतिबंधात्मक आदेश 17 मार्च तक लागू रहेंगे, जो आज से ही पूरे शहर में लागू हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी व घर-घर जाकर पार्सल देने वालों की जानकारी भी थानों पर देना अनिवार्य किया गया है। नियमों की अवहेलना या उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

उज्जैन। शिप्रा नदी में खड़ी कांग्रेस नेत्री की तबियत बिगड़ी, गहरे पानी में पैर फिसल गया और डूबते डूबते बची, कार्यकर्ताओं ने डूबने से बचाया समर्थक अस्पताल लेकर दौड़े। अस्पताल में उनके स्वास्थ्य को स्थिर बताया गया।

संवाद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ है : बिड़ला

स्टेट प्रेस क्लब, म. प्र. ने किया लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत

इंदौर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि संवाद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ है, उनकी कोशिश है लोकसभा में चर्चा के माध्यम से समाधान निकले। सत्रहवीं लोकसभा में संस्था की मर्यादा को बनाए रखने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

संक्षिप्त इंदौर प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष श्री बिड़ला ने कहा कि संसद में देश, जनता और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए लेकिन संसद किसी भी स्थिति में राजनितिक एजेंडे को पूरा करने का मंच न बने। उन्होंने बताया कि संसद में शून्यकाल के माध्यम से संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने के लिए रिकॉर्ड समय और अवसर दिए जा रहे हैं।

संसद के नए भवन के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नई संसद नए युग का साक्षी बनेगा। अंग्रेजों ने 1921 में संसद बनाई थी जिसे अब वक़्त के साथ बदलना जरूरी हो गया था। नई संसद में अत्याधुनिक सुविधाएँ, नई तकनीक और पर्याप्त

स्थान की व्यवस्था की जा रही है।

होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित "द स्पीकर स्पीक" कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने प्रबुद्धजनों के सवालों के भी जवाब दिए। प्रारम्भ में सांसद शंकर लालवानी ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और बताया कि इनके कार्यकाल में पहली मर्तबा चुनकर आए सांसदों को प्रशनोत्तर के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। संसद रिकॉर्ड समय तक चल रही है और संसद की कार्यपद्धति में भी बदलाव आया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से स्टेट प्रेस क्लब, म.प्र. के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाक़ात की। अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने श्री बिड़ला को भारतीय पत्रकारिता महोत्सव सहित क्लब के आयोजनों के बारे में जानकारी दी और स्मारिका 'दायरा' भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ने स्मारिका का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर कमल कस्तूरी, अजय भट्ट, अक्षय जैन, रचना जौहरी, सोनाली यादव, शीतल रॉय, ऋतू साहू, प्रवीण धनोतिया मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

ठोस निर्णय नहीं तो , होगा देशव्यापी आंदोलन

इंदौर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को इंदौर आगमन पर दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष नरेन्द्र जी वेद , सुरेन्द्र जैन , नकुल पाटोदी , जैनेश झांझरी, पिंकेश टोग्या, डीके जैन गौरव पाटोदी अशोक काला ने मिलकर शिखर जी झारखंड में अल्पसंख्यक समाज की पौराणिक धरोहर के साथ जो अनियंत्रित अनियमितता हो रही है , उसका कड़ा विरोध दर्ज कराया। अहिंसक समाज ने मांग की कि पर्वत पर नवनिर्माण हो रहे है , अभक्ष पदार्थ बेचे जा रहे है। जो बंद हो। जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है , अहिसंक आहत है। गिरनार की तरह ही शिखर पर अल्पसंख्यक समाज की अनदेखी की जा रही है। गिरनार जी में तो अल्पसंख्यक समाज के साथ आए अभद्रता होती है।

नकुल पाटोदी व समाज जनों ने कहा की केन्द्र शासन कोई ठोस निर्णय नहीं लेती मजबूरन देशव्यापी आंदोलन की राह चुनना पढेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने शिखर जी और गिरनार जी के संबंध में शासन की तरफ़ से ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। कहा हर संभव शासन की और से अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

स्वामी : जनहित आरटीआई कार्यकर्ता संगठन। मुद्रक, प्रकाशक संतोष घोगरे (मो. 9826311986) द्वारा पंकज प्रिन्टर्स एंड पैकेजिंग, एलयूएन-22, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर से मुद्रित।
प्रकाशन स्थल : 352/9-ए, गंगा कॉलोनी, धार रोड इंदौर से प्रकाशित। (किसी भी विवाद की स्थित में न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।) विधिक सलाहकार : अभिभाषक राजेश मसीह, अभिभाषक खुशनूर अंसारी, संपादक - आशीष शिंदे (मो. 96446-30000)